

816
20/10/20
प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

2051
C.F. (A)
20/10/20
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

श्री चौहान

22/10/2020

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 20 अक्टूबर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 12.00+02 Culvert किमी0 जिसकी लागत ₹ 203.43 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 203.43 लाख (₹ दो करोड़ तीन लाख तिरालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु रु. 0.10 लाख (रु. दस हजार मात्र) अर्थात् 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या- 383/III(1)/19-190(PWD)01टी.सी.-11 दिनांक 05.2.2020 की अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00

1049
830(P)

मुख्य अभियन्ता
मुख्यालय (विशेषज्ञ)

CAO-II

22/10/20
550-14

SA07-1
22/10/2020

—54 भूमि क्रय में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।


(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.70 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या:-52010022 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिलों तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-02 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 474/XXVII(2)/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव


संख्या- 1 / 111(2)/20-51(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव




संख्या- 1927 / 111(2)/20-51(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०/मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 156/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल से मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.50	8.88	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 160/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के काकडीघाट मोटर मार्ग से वैद्यबस्ती जनखाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	11.84	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 127/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत ताकुला-गणानाथ-रनमन मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 है० 4-6 दुर्गाथल से बीना तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.500 + 12 mtr. Culvert	85.30	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 128/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत ताकुला-गणानाथ-रनमन मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00(टीट बैण्ड) झाड़कोट से इसलना खाड़ी तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00 + 12 mtr. Culvert	34.44	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 131/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत स्याईदेवी मण्डल में भाटनयालजूला अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.00	11.32	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 132/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज चौरा भनरगांव से नैनोली तक लिंक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	31.07	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:- 147/2020 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-गिरेछिना मोटर मार्ग से नाकोट से मलड़गांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.50	20.58	0.10
कुल		12.00 +02 Culvert	203.43	0.70

(कुल ₹ सत्तर हजार मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1927/III(2)/20-51(MLA)/2017
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20100220010
आवंटन पत्र दिनांक-20-OCT-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		1500000	70000	0	1570000							
योग		1500000	70000	0	1570000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530451

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पृष्ठांकन पत्र संख्या 925/ 20 याता0'क' /2020

दिनांक-26 .10.2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

22/10/2020
वरिष्ठ प्रशासक/अभियन्ता